कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

कमांक/मा.चि./2022/ 348 छिन्दवाड़ा दिनांक 15/02/22

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन मुख्य वन संरक्षक
छिन्दवाड़ा वन वृत्त
छिन्दवाड़ा

विषय :— तानसी कोल परियोजना हेतु 206.826 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (प्रकरण कमांक/FP /MP/MIN /44238/2020)

संदर्भ :— आपका पत्र 415 दिनांक 25.01.2022 एवं वे0को0फी0लिमि0 कन्हान क्षेत्र डुंगरिया के पत्र कमांक 1335 दिनांक 12.02.2021

– ❋❋❋ –

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल अंतर्गत दमुआ वन परिक्षेत्र के रामपुर में स्थित कक्ष कमांक पी 400 , पी 401 , पी 409 ,पी 410 ,पी 413 , पी 414 ,पी 422 कुल रकबा 206.826 हे0 वनभूमि की तानसी भूमिगत खदान हेतु प्रकरण प्रस्ताव कमांक /FP/MP/MIN/37580/2018 से ऑनलाईन किया गया है।

वे0को0फी0लिमि0 कन्हान क्षेत्र डुंगरिया द्वारा संदर्भित पत्र के तारतम्य में प्रस्ताव में पाई गई त्रुटियों की बिंदुवार पूर्ति कर प्रस्ताव आपकी ओर 4—4 प्रतियों में संलग्न सम्प्रेषित हैं।

सहपत्र :— उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि/2022/ 349 छिंदवाड़ा, दिनांक/ 15/02/22

प्रतिलिपि :— (1) महाप्रबंधक वे0को0फी0लिमि0 कन्हान क्षेत्र डुंगरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

Dfo_West//Shoaib//cover 2022

केवल नागपुर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में — Under jurisdiction of Nagpur Court Only

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड/ Western Coalfields Limited
मिनिरत्न कम्पनी/ (A Miniratna Company)
कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी/(A Subsidiary of Coal India Limited)
CIN-U10100MH1975GO1018626

क्षेत्रीय महाप्रबंधक का कार्यालय, कन्हान क्षेत्र
पता: वेकोलि, कन्हान क्षेत्र, पोस्ट: डुंगरिया, जिला: छिंदवाड़ा, म.प्र.पिन: 480553
Email:agmkanhan@westerncoal.gov.in

Office of Area General Manager, Kanhan Area
Address: WCL,Kanhan Area, PO: Dungaria, Dist:Chhindwara, MP, PIN:480553
FAX:07160-230520, Phone:07160-231245

संदर्भ सं: वेकोलि/कन्हान/क्षे.म.प्र./2020-21/- 1335 — दिनांक: 12-02-2022

प्रति,

श्रीमान वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाडा

(पश्चिम) वन मंडल छिंदवाडा ।

विषय :— तानसी कोल परियोजना हेतू भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। (प्रकरण क्रमाक / FP/MP/MIN/44238/2020) पत्र क्रमाक प मावि / 416 दिनांक 25.01.2022 के अनुसार पत्र का स्पष्टीकरण ।

क्र	त्रुटि	स्पष्टीकरण
1	प्रस्तावित स्थल 7 पेचेस की एक दूसरे की कनेक्टिविटी में शासकीय भूमि मे छोटे-झाड़ के जंगल मद की भूमि हो तो प्रस्तावित एरिया में शामिल करें यदि राजस्व वन मद की भूमि नहीं हो तो तद्रुसार कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करे ।	प्रस्तावित प्रस्ताव भूमिगत खान का है। एक दूसरे काम्पार्टमेंट के बीच निजी एवं शासकीय भूमि है। प्रस्तावित प्रस्ताव 206.826 हैक्टर केवल वनभूमि है। निजी एवं शासकीय भूमि मे छोटे बडे झाड के जंगल नही है। एवं प्रस्तावित स्थल के पेचेस की कनेक्विटी एरिया को प्रस्ताव मे शामिल नही किया गया है। अत: प्रस्ताव 206.826 हैक्टर में सपूर्ण वनभूमि हेतु आवेदित है।
2	प्रस्ताव में वन मानचित्र स्केल 1:50,000 के मैनेजमेंट मेप पर एरिया मार्क कर संलग्न करे तथा प्रस्तावित एरिया सतपुड़ा-पेंच टाईगर रिजर्व कारीडोर का सर्वे आफ इंडिया स्केल 1-2,50,000 के मैप पर उनकी सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से दूरी एवं पेंच टाईगर रिजर्व से दूरी तथा कारीडोर से दूरी दर्शित मैप संलग्न करने हेतु लेख किया गया था जो कि संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्तावित एरिया सतपुड़ा – पेंच टाइगर रिज़र्व कारीडोर का सर्वे ऑफ़ इंडिया स्केल 1:2,50,000 के मैप एवं 1:50.000 के मैनेजमेंट मेप पर एरिया मार्क कर सलग्न कर दिया गया है पर उनकी सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व से दुरी एवं पेंच टाइगर रिज़र्व से दुरी तथा कारीडोर से दुरी दर्शित मैप सलंगन किया गया है।
3	प्रस्ताव में मंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के बिंदु कमांक 12 मे आपके द्वारा लेख किया गया है कि उक्त प्रस्तावित एरिया में 18 वनाधिकारी पत्र बांटे गये हैए ऐसी स्थिति मे वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रस्ताव मे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र पाने हेतू प्रस्ताव प्रक्रिया मे है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्थान मे प्रमाण पत्र प्रक्रिया मे लगे दस्तावेज लगाये गये है। एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही प्रस्तावित प्रस्ताव मे अपलोड कर दिया जायेगा। चुकी तानसी माइन भूमिगत माइन है इसलिए उत्खनन कार्य भूमिगत पद्धति से होना है इसलिए प्रस्तावित वन भूमि के सर्फेस/उपरीतल पर किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा ।
4	वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण बिंदु कमांक 16 में आपके द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित माईन पेच-सतपुड़ा कारीडोर के अंतर्गत आती है। अत: आवेदक को प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्य प्राणी) से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु लेख करें। उपरोक्त पूर्ति कर प्रस्ताव में अपना स्पष्ट अभिमत सहित भेजना सुनिश्चित करें ।	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार न्यू दिल्ली द्वारा कार्यालय ज्ञापन क्र F.No.161/2010-FC Dated- 25.03.2013. द्वारा तानसी ब्लाक/ भूमिगत माइन को पेच-सतपुड़ा कारीडोर में कोयला उत्खनन करने हेतु अनुमति प्राप्त है। (संलग्न प्रतिलिपि)

वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कन्हान क्षेत्र राष्ट्र हित में कोयला उत्खनन का कार्य पूर्ण दक्षता के साथ करते आ रहा है। देश में ऊर्जा निर्माण करने हेतु कोयले का उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु उपरोक्त प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति की आवश्यक कार्यवाही हेतु आपके समक्ष सादर प्रेषित हैं।

14.2.2022

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
कन्हान क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक छिंदवाडा वन वृत्त छिंदवाडा।
2. उप क्षेत्रीय प्रबंधक तानसी उपक्षेत्र।
3. क्षेत्रीय योजना अधिकारी, कन्हान क्षेत्र।
4. क्षेत्रीय सुर्वेक्षण अधिकारी, कन्हान क्षेत्र।